

सेवा में

विद्युत लोकपाल,
विद्युत नियामक भवन,,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ—10

विषय:- उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम..... के निर्णय का लाइसेंसी द्वारा अनुपालन न किये जाने पर/द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध/द्वारा ससमय निस्तारण न किये जाने पर अभ्यावेदन।

महोदय,

मेरे द्वारा उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम..... के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिसका वाद संख्या..... है। उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम..... के निर्णय का लाइसेंसी द्वारा अनुपालन न किये जाने पर/द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध/द्वारा ससमय निस्तारण न किये जाने पर, मैं आपके समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिवाद का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

- 1— उपभोक्ता का नाम
एवं पता
मोबाइल न0(अनिवार्य) ई—मेल.....
- 2— सम्बन्धित लाइसेंसी
कार्यालय का नाम एवं.....
पूरा पता
3— संयोजन सं0— विधा भार.....
4— प्रथमां—पत्र के तथ्यों का
संक्षिप्त विवरण
(अभिलेखों/प्रमाण सहित).....
.....
.....
5— कोई अन्य सुसंगत तथ्य.....
6— उ0व्य0नि0फो0 के आदेश के अनुपालन मे जमा होने वाली धनराशि का न्यूनतम 33% जमा करने का साक्ष्य
.....
7— उ0व्य0नि0फो0 में वाद दायर करने की सभी औपचारिकताओं के पूर्ण करने का साक्ष्य.....
.....
.....

—: घोषणा :-

मै एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि :-

- अ— उपरोक्त सभी तथ्य/जानकारी सत्य एवं सही है।
ब— सम्बन्धित विषय वस्तु के अभ्यावेदन पर किसी न्यायालय, अभिकरण, विद्युत लोकपाल या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में निपटारा नहीं हुआ है।
स— अभ्यावेदन ऐसे मामले से सम्बन्धित नहीं है जो किसी न्यायालय, मध्यस्थ, अभिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।

संलग्नक.....

दिनांक

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर.....

एवं नाम